संख्या :2790 / 1–10–2012–33(195) / 12

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वरलू,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजीपुर।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ : दिनॉक : 23 जनवरी, 2013

विषय : गंगा नदी के कटान से प्रभावित परिवारों को पुर्नस्थापन हेतु भूमि क्रय कर आवासीय भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2684 / 13–आपदा / 2012, दिनांक 12 सितम्बर, 2012 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गाजीपुर के ग्राम पुरैना, परगना करण्डा, तहसील में गंगा नदी के किनारे बसी हुई बस्ती के मकान गंगा नदी के कटान के कारण प्रभावित परिवारों / विस्थापित व्यक्तियों को पुर्नस्थापित किये जाने हेतु मौजा पुरैना के आराजी संख्या–223 सं0 रकवा 0.063 हे0 के भू–स्वामी / काश्तकार तथा आराजी संख्या–209 सं0 रकवा 0.076 हे0 कुल योग रकवा 0.139 हे0 के नियमानुसार क्रय हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि रू0 **3,93,092 / – (रूपये तीन लाख तिरानबे हजार बानबे मात्र)** आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं::

2. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा, तथा यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो कोषागार में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा।

3. तीव्र बाढ़ में बह जाने वाले ग्रामों के विस्थापित व्यक्तियों को पुर्नस्थापित किये जाने हेतु भूमि का क्रय कर निःशुल्क आवंटन कराये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–2010 / 1–10–2012–33(37) / 12–टी0सी0–1, दिनांक 31 जुलाई, 2012 में उल्लिखित व्यवस्था / दिशा–निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एवं के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

26

5. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन करायां जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

6— उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012—13 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4250—अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय—आयोजनागत—00—101—प्राकृतिक आपदायें—08—प्रदेश में विस्थापितों के पुर्नवास हेतु भूमि क्रय—00—24—वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या—98/X—2012 दिनांक 21 जनवरी 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(एल0 वेंकटेश्वर लू)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या — 2790(1)1—10—2012—33(195)/12, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार—प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद
2— मण्डलायुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
3— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या—सी0—651/2—संग्रह—19सी(1)/2010, दिनांक 08.11.2012 के सन्दर्भ में।
4— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर अपलोड किये जाने हेतु।
5— वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
6— मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, गाजीपुर।
7— वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग—5।
8— समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग—10/राजस्व अनुभाग—6/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
9— निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, उ0प्र0 शासन।
10— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार शर्मा)
अनु सचिव।